भारत सरकार
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3292
दिनांक 12 जुलाई, 2019 को उत्तर के लिए

स्व-सहायता समूह

3292. श्री दिलेश्वर कामैतः

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं के मार्गदर्शन में सामाजिक-आर्थिक विकास की अवधारणा को मूर्त करने के लिए महिला स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) को बढ़ावा देने का है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार के पास महिला स्व-सहायता समूहों को आर्थिक रूप से अधिक सशक्त बनाने के लिए उन्हें कोई विशेष आर्थिक सहायता प्रदान करने का प्रस्ताव है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार का विचार महिलाओं की आर्थिक समृद्धि के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान करने हेतु देश के ग्रामीण क्षेत्रों में महिला स्व-सहायता समूहों की स्थापना हेतु कोई विशेष प्रावधान करने का है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

श्रीमती स्मृति ज़ुबिन ईरानी महिला एवं बाल विकास मंत्री

(क) से (घ) : भारत सरकार निम्नलिखित के जरिए सामाजिक-आर्थिक विकास की प्राप्ति के लिए स्व-सहायता समूहों को प्रोत्साहित कर रही है :

(i) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन (डीएवाई-एनआरएलएम), - ग्रामीण विकास मंत्रालय का यह कार्यक्रम पूरे देश में एक मिशन के रूप में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण निर्धन महिलाओं को स्व-सहायता समूहों में संगठित करना और लगातार उनकी सहायता करना है, जिससे कि वे अपना जीवन स्तर सुधारने और अत्यधिक निर्धनता से बाहर आने के लिए तब तक आर्थिक गतिविधियां चलाती रहें, जब तक वे अपनी आमदनी में पर्याप्त वृद्धि नहीं कर लेतीं । इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक निश्चित समय-सीमा के भीतर प्रत्येक ग्रामीण निर्धन परिवार (लगभग 9 करोड़) की कम से कम एक महिला को महिला स्व-सहायता समूह और उनके संघों के दायरे में लाया जाए । यह कार्यक्रम दिल्ली और चंडीगढ़ को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एक चरण-बद्ध तरीके से क्रियान्वित किया जा रहा है । 31 मई, 2019 तक की स्थिति के अनुसार इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5.96 करोड़ महिलाओं को 54.07 लाख महिला स्व-सहायता समूहों में संघटित किया जा चुका है ।

दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार मिशन के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों और उनके संघों को आय अर्जन हेतु स्व-रोजगार गतिविधियां शुरू करने के लिए 10,000-15,000/-रुपये प्रति स्व-

सहायता समूह की दर से चक्रीयन निधि और अधिकतम 2,50,000/-रुपये प्रति स्व-सहायता समूह की दर से सामुदायिक पूंजी निवेश सहायता निधि प्रदान की जाती है । स्व-सहायता समूहों को रोजगार संबंधी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां शुरू करने के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु बैंकों के साथ भी जोड़ा जाता है । इसके अतिरिक्त, लक्षित परिवारों को कृषि और गैर-कृषि दोनों क्षेत्रों में आय अर्जन गतिवधियां शुरू करने के लिए क्षमता निर्माण और प्रौद्योगिकीय सहायता भी प्रदान की जाती है ।

(ii) दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी रोजगार मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आवास और शहरी मामले मंत्रालय के इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी निर्धन परिवारों की निर्धनता और सुभेद्यता को सतत आधार पर कम करना है । मिशन का अधिदेश, अन्य बातों के साथ-साथ, निर्धन लोगों की बुनियादी स्तर की मजबूत संस्थाओं का निर्माण करना है । सामाजिक संगठन और संस्था विकास घटक के अंतर्गत मिशन में प्रत्येक शहरी निर्धन परिवार के कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला, को स्व-सहायता समूह नैटवर्क के अंतर्गत लाकर शहरी निर्धनों का स्व-सहायता समूहों और उनके संघों में सर्वसुलभ सामाजिक संघटन परिकल्पित है । ये समूह निर्धनों की वित्तीय और सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उनके लिए एक सहायक का कार्य करते हैं ।

स्व-रोजगार कार्यक्रम के अंतर्गत बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए सभी स्व-सहायता समूहों को 7 प्रतिशत ब्याज दर के अलावा, ब्याज में छूट उपलब्ध है । समय पर ऋण की अदायगी करने वाले सभी महिला स्व-सहायता समूहों को ब्याज में 3 प्रतिशत की अतिरिक्त छूट भी उपलब्ध है ।

*****